UPSR010005202026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008**

जमानत आवेदन नं०-212/2026

पंचम आयु 60 वर्ष पुत्र राजाराम,

साकिन–भोजापुरवा, दा0–रामपुर ककरा, पो0–जानकीनगर,

थाना–मल्हीपुर, जिला–श्रावस्ती।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

रेंज केस नं0–21/2025–2026
धारा–9, 39, 50, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
रेंज–ककरदरी रेंज, जनपद–श्रावस्ती

दिनांक 28.03.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **पंचम** की ओर से रेंज केस नं0–21/2025–2026, धारा– 9, 39, 50, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, रेंज–ककरदरी रेंज, जनपद–श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादी मुकदमा/वन दरोगा अशोक कुमार सिंह ने ककरदरी रेंज में दिनांक 13.03.2016 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज पंजीकृत करायी कि आज दिनांक 13.3.2026 को प्रातः वन विभाग एवं सशस्त्र सीमा बल के संयुक्त टीम द्वारा ककरदरी जंगल वन ब्लाक की गश्त के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि ककरदरी जंगल में एक आदमी काले मोटरसाइकिल से कछुआ लेकर राप्ती वैराज की तरफ जा रहा है। सूचना को सच मानते हुए तत्काल उन लोगों ने सघन तलाशी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद कम्पार्टमेंट नं0 1 नेपाल सीमा पिलर नम्बर 640/9 के पास एक अदद काली रंग की मोटरसाइकिल आते दिखी जिसको शक के आधार पर रोक कर तलाशी ली गयी जिसे डिग्गी से एक हरे रंग का झोला में दो अदद जिन्दा कछुआ प्रजाति सुन्दरी (Indian

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.28 16:15:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

phlap shell turtle) बरामद हुआ। अभियुक्त से पूछने पर उसने अपना नाम व पता बताया जिसको तत्काल उसके द्वारा किये गये अपराध के बारे में जानकारी देते हुए गिरफ्तार करते हुए मय मोटरसाइकिल दो अदद जिन्दा कछुआ झोला सहित रेंज कार्यालय लाया गया व उनके विरूद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 50, 51 के अन्तर्गत रेंज केस इजरा किया गया। मामले की विवेचना लम्बित है।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त को फर्जी एवं गलत तथ्यों के आधार पर फंसा दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त कथित घटना से अनभिज्ञ व अंजान है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। अभियोजन के अनुसार दो कछुआ की बरामदगी दिखाई गयी किन्तु उनकी प्रजाति का विधिवत् वैज्ञानिक परीक्षण/प्रमाणन अभी तक अभिलेख पर नहीं दिया गया है। अभियुक्त के पास से कथित बरामदगी के अतिरिक्त कोई आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है तथा कोई संगठित तस्करी गिरोह से सम्बन्ध का भी आरोप नहीं है। यह स्थापित विधि है कि जब तक यह सिद्ध न हो कि सम्बन्धित जीव अनुसूची 1 में आता है तब तक कठोर दण्डात्मक प्रावधान स्वतः लागू नहीं होते हैं। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं वन प्रभाग श्रावस्ती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। आवेदक/अभियुक्त के पास से दो अदद कछुआ बरामद हुआ है जो अनुसूची–01 का दुर्लभ वन्य जीव है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा वन प्रभाग श्रावस्ती के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– रेंज केस संख्या 21/2025–26 से सम्बन्धित अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। मामला रेंज केस से सम्बन्धित है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बताया गया है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अधिकतम सात वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है। संगठित तस्करी गिरोह की कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त की उम्र 60 वर्ष बतायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 13.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय

उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंतिल प्रति सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इनवेस्टीगेशन एवं अन्य (2022) 10 एस सी सी 51** के आलोक में तथा मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त पंचम का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **पंचम** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

(i)– यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार की दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 28.03.2026